

(70)

21.7.13
5.11.13

19

4

अनुसूची 14-फार्म नं० 562/

आदेश-पत्रक

न्यायालय, अंचलाधिकारी, फुलवारी शरीफ पटना
देखें अभिलेख 1941 का नियम 121

आदेश-पत्रक सं० 1153/13-17 वर्ष 08-09
केस का प्रकार 2 जिला पटना

का कम तारीख		आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीखसहित										
9/13	<p>श्री/श्रीमति <u>श्री/श्रीमति 201-डोक</u> <u>ब्रह्मचारी श्री सुरेश चन्द्र मुखर्जी</u> ग्राम <u>कौरा</u> पोस्ट <u>कौरा</u> थाना <u>गुवाहाटी</u> जिला <u>असम</u> देखास नं० <u>9200</u> दिनांक _____ के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है जो निम्नांकित है।</p> <table border="1"> <tr> <td>गाँव/खेस नं०</td> <td>खाता सं०</td> <td>खेसस नं०</td> <td>एराजी</td> <td>सतान</td> </tr> <tr> <td><u>कौरा 42</u></td> <td><u>76</u></td> <td><u>99</u></td> <td><u>07/2/100</u></td> <td><u>1-00</u></td> </tr> </table>	गाँव/खेस नं०	खाता सं०	खेसस नं०	एराजी	सतान	<u>कौरा 42</u>	<u>76</u>	<u>99</u>	<u>07/2/100</u>	<u>1-00</u>	
गाँव/खेस नं०	खाता सं०	खेसस नं०	एराजी	सतान								
<u>कौरा 42</u>	<u>76</u>	<u>99</u>	<u>07/2/100</u>	<u>1-00</u>								

इसके राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक को माध्यम से प्राप्त हुआ। महास को खास पर नोटिस जारी करें। अभिलेख दिनांक 21.7.13 का उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित

अंचलाधिकारी
फुलवारी शरीफ

अंचलाधिकारी
फुलवारी शरीफ

नोटिस का तागिला प्रतिवेदन प्राप्त है किसी प्रकार का आपति प्राप्त नहीं है।
इसका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुज्ञासा के आधार पर दाखिल खारिज
किया जाता है। शुद्धि पत्र निर्गत करें।

प्रतिवेदन प्राप्त
कर्मचारी

लेखापित एवं संशोधित

अंचलाधिकारी
फुलवारी शरीफ

अंचलाधिकारी
फुलवारी शरीफ

अंचल अधिकारी
फुलवारी शरीफ

